उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या : 01 / V–1 / 2021–28(N.L.) / 2015
देहरादून दिनांक 01 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

नजूल नीति, 2009 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित विभिन्न जनहित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी सं0–233 / 2019 एवं 1180 / 2019 जो कि वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है, के दृष्टिगत राज्य में नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में आने वाली कठिनाईयो को देखते हुए नजूल नीति के संबंध में दिनांक 26.11.2020 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के क्रम में श्री अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा),देहरादून को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2– श्री अभिषेक त्रिपाठी, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से नामित श्री विनय अरोड़ा, एडवोकेट ऑन रिकार्डस से सम्पर्क स्थापित करते हुए नजूल नीति के निस्तारण हेतु समन्वयक का कार्य सम्पादित करेंगें।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या : 01 / V–1 / 2021–28(N.L.) / 2015,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर सचिव,आवास, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Users\Admin\Desktop\goswami\U.O\U.O.docx

Scanned with CamScanner